राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	587/2023 कृष्ण कुमार बनाम गिर्राज हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/01/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 09/01/2026 को पेश हो।	
09/01/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 26/06/2023 पारित करते हुए तहसीलदार सांगानेर को पक्षकारो को नोटिस भेजकर उनकी उपस्थिति में मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर पुख्ता निर्माण को मध्येनजर रखते हुये विवादग्रस्त आराजी का राजस्व मण्डल के विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुये कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 26/06/2023 के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि प्रश्नाधीन वाद विभाजन का है, जिसमे अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार सांगानेर को सभी पक्षकारो को नोटिस भेजकर उनकी उपस्थिति में मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर पुख्ता निर्माण के मद्देनजर रखते हुये वादग्रस्त आराजी का विभाजन प्रस्ताव राजस्व मण्डल के विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुये तैयार किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है। विधि के प्रावधानों के अनुसरण में भी सहखातेदारान के मध्य विभाजन हेतु उक्तानुसार निर्णय ही विधिसम्मत जाहिर होता है। अपीलार्थी द्वारा तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री को चुनौती दी गयी है, जो स्वीकार योग्य प्रतीत नही होती है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 26/06/2023 में कोई त्रुटी जाहिर नही होने से उसे यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	